फा. सं. 24021/23/2016-पी एम-I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड,
नई दिल्ली-110011
दिनांक: 30 मई , 2018

सेवा में,

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी
(सूची के अनुसार)

विषय: प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के निदेशकों, भागीदारों, स्वामियों, कर्मचारियों और गाड्‌र्स के पूर्ववृत्त का सत्यापन।

महोदय/महोदया,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (पीएसएआर एक्ट) के अंतर्गत विनियमित होती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी पीएसएआर एक्ट के अंतर्गत नियम बनाए हैं।

2. हाल ही में मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएसएआर अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारियों को कठिनाइयां आती हैं जिसके परिणामस्वरूप पीएसएआर एक्ट के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को लायसेंस जारी करने/ उनका नवीकरण करने में विलंब होता है। इसका एक कारण प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के निदेशकों, भागीदारों अथवा स्वामियों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन में लगने वाला समय है।

3. इस संबंध में मंत्रालय द्वारा सभी नियंत्रक प्राधिकारियों को दिनांक 11.05.2018 को एक परामर्शी पत्र पहले जारी किया गया है जिसमें उनको यह सलाह दी गई है कि वे लायसेंस जारी करने/उनका नवीकरण करने संबंधी आवेदनों को प्रोसेस करते समय प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के कार्मिकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए सीसीटीएनएस डाटाबेस का प्रयोग करें ताकि लाइसेंस जारी करने/उनका नवीकरण करने संबंधी आवेदनों को शीघ्र प्रोसेस किया जा सके। इसके अतिरिक्त नियंत्रक प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि पूर्ववृत्त का सत्यापन CCTNS Pan-India data-base का प्रयोग करके किया गया है तो अन्य राज्यों द्वारा पुन: उसी प्रक्रिया के लिए जोर नहीं डाला जाना चाहिए जब तक कि सत्यापन प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त न हो गई हो।

भवदीय,

(अमरीक सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन 011-23385947

प्रति प्रेषित:
अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय और पीएसएआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।